RECENT RESEARCHES in
SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

Issue : 3 & 4, Vol. : 5,
July-December (2018), Joint Edition, Pages : 13 - 16
ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

# कुमाऊँ क्षेत्र के औद्योगीकरण में चीनी मिलों का योगदान : एक मूल्याकंन

**रूचि रानी**
शोध छात्रा वाणिज्य, राधेहरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
काशीपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)

*Received* : 12/09/2018 *1st BPR* : 25/09/2018 *2nd BPR* : 10/10/2018 *Accepted* : 11/11/2018

## ABSTRACT

कुमाऊँ जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के औद्यौगिक विकास में कृषि–आधारित उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, इसलिए कृषि अर्थव्यवस्था होने के कारण औद्योगीकरण की शुरूआत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से ही होनी चाहिए। कृषि–आधारित उद्योग निकटस्थ क्षेत्रों से उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग तो करते ही हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषकों तथा सम्बद्ध श्रमिकों की आय में भी वृद्धि कर सकने में समर्थ होते हैं। प्रारम्भ में मध्यमस्तरीय एवं वृहद्स्तरीय उद्योग स्थापित होते हैं। बाद में उनके अवशिष्टों, अपशिष्टों तथा उपोत्पादों का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए अनेक सहायक उद्योग–धन्धें पनपने लगते हैं। चीनी मिल प्रमुख कृषि– आधारित उद्योग हैं जो औद्योगीकरण को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। उत्पादन, रोजगार सृजन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, आय सृजन, कर संग्रह, आर्थिक क्रियाकलापों का विस्तारीकरण इत्यादि में चीनी मिलें किस प्रकार योगदान देती हैं इसका प्रस्तुत शोध–पत्र में मूल्याकंन किया गया है।

**की–वर्ड** : औद्योगीकरण, विनिर्माण, रूपान्तरण, विदोहन, गहनता, व्यापकता, उत्पादिता

**प्रस्तावना**

अर्थवेत्ताओं का मत है कि औद्योगीकरण न केवल विकास का इंजन है अपितु भौतिक समृद्धि का आधार भी है। औद्योगीकरण किसी राष्ट्र की प्रगति एवं सम्पन्नता का केवल आधार ही नहीं अपितु उसके आर्थिक विकास का मापदण्ड भी माना जाता है। विश्व के लगभग सभी औद्योगीकृत राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में गिने जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं से ग्रसित अनेक पिछड़े राष्ट्र अपना नव–निर्माण एवं उत्थान औद्योगीकरण के माध्यम से ही कर रहे हैं जो उनके लिए एक नई आशा की किरण लेकर आया है। ऐसे राष्ट्र जो प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों से सम्पन्न होते हुए भी विपन्न हैं, अपने संसाधनों का औद्योगीकरण की सहायता से भरपूर उपयोग करके राष्ट्रीय उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सकते हैं।

ब्राईस के शब्दों में :– ''किसी भी सुदृढ़ विकास कार्यक्रम में औद्योगिक विकास को अनिवार्यतः एवं अन्ततः व्यापक भूमिका का निर्वहन करना होता है।''[1] निर्धनता उन्मूलन का लक्ष्य औद्योगीकरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक स्थिरता के सुनिश्चितीकरण के लिए औद्योगीकरण ही एकमात्र उपचार है। बौर तथा यामे ने ठीक ही कहा है कि ''व्यापक रूप में औद्योगीकरण आर्थिक प्रगति एवं उच्चतर जीवन स्तरों की कुंजी है।''[2] औद्योगीकरण की महत्ता को स्वीकार करते हुए एक बार स्वर्गीय पं0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, ''समस्त राष्ट्र जिस देवता की पूजा करते हैं वह देवता है औद्योगीकरण, वह देवता है मशीन, वह देवता है अधिक उत्पादन तथा प्राकृतिक शक्ति एवं संसाधनों का अधिकाधिक लाभ के लिए अधिकाधिक उपयोग।''[3]

**औद्योगीकरण का अर्थ**

औद्योगीकरण उद्योग शब्द से ही बना है। सरल अर्थों में, उद्योग से तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा के विनिर्माण से है। किसान के अनुसार मनुष्य किसी वस्तु का विनिर्माण नहीं सकता परन्तु वह अपने बुद्धि–चातुर्य एवं कला–कौशल के उपयोग से उपलब्ध पदार्थों में ऐसा रूपान्तरण कर सकता है कि वे अधिक उपयोगी बन जायें। इस प्रकार आधुनिक युग में उद्योग से अभिप्राय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से नवीन उपयोगिताओं अथवा मूल्यों के सृजन से है। उद्योगों की यह श्रृंखला जब व्यापक रूप धारण कर लेती है तो एक प्रक्रिया बन जाती है जो औद्योगीकरण कहलाती है। औद्योगीकरण की यह प्रक्रिया जब आरम्भ होती है तो अर्थव्यवस्था के समस्त अवयवों में परिवर्तन कारित कर देती है। यान्त्रिक शक्ति एवं संयत्रों का प्रयोग उत्पादन को व्यापकता एवं विशालता प्रदान करता है और इस प्रकार एक व्यवस्थित गतिविधि के रूप में वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन का कार्य सम्पन्न

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 13-16, ISSN 2348 – 3318

International Refereed & Blind Peer-Reviewed Multidisciplinary Research Journal

किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का उक्त निर्णय त्रिसूत्री परीक्षण पर आधारित है। ये तीनों सूत्र निम्नवत हैं :–

1. गतिविधि का प्रचालन व्यवस्थित ढंग से किया जाता हो,
2. नियोजकों तथा नियोजितों के मध्य सहयोग हो तथा
3. मानवीय आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के उद्देश्यों से भौतिक वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन या वितरण किया जाता हो।

**औद्योगीकरण की परिभाषा**

औद्योगीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत किसी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में यन्त्रीकरण के द्वारा ऐसे आधारभूत परिवर्तन किये जाते हैं जिनके द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम सम्भव विदोहन सुनिश्चित किया जा सके। कृषि–जन्य एवं खनिज पदार्थों के समुचित उपयोग एवं शक्ति के यान्त्रिक साधनों के विकास के द्वारा भारी धातु एवं मशीन उद्योग का निर्माण करके तथा पूँजी के गहन एवं विस्तृत निवेश की सहायता से बड़े पैमाने पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन सम्भव बनाना औद्योगीकरण का प्रमुख उददेश्य है। इस प्रक्रिया की सहायता से प्राथमिक व्यवसायों के साथ–साथ द्वितीयक उद्योगों का विकास करना परम आवश्यक होता है जिससे आगे चलकर तृतीयक उद्योगों की स्थापना एवं प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बड़े स्तर पर उत्पादित माल को लाने व ले जाने के लिए आधुनिक परिवहन एवं संचार के साधनों का समुचित विकास तथा देशी–विदेशी व्यापार की सहायता के लिए बैंकिग बीमा तथा अन्य औद्योगिक सेवाओं को प्रस्तुत करना भी औद्योगीकरण की प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूँजी को 'गहनता' ही नहीं 'व्यापकता' भी प्रदान करती है। (पी0 कांग चांग) चांग के अनुसार उत्पादन कार्यों में परिवर्तनों की श्रृंखला का जन्म औद्योगीकरण प्रक्रिया के कारण ही होता है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन अनेक प्रकार के हो सकते हैं तथा इनका सम्बन्ध यन्त्रीकरण, नवीन उपक्रम की स्थापना, नवीन बाजार की खोज तथा किसी नये प्रक्षेत्र के विदोहन से हो सकता है। इस प्रकार नवप्रवर्त्तन या नवाचार इस प्रक्रिया का प्रमुख लक्षण है जिसके आधार पर पूँजी का गहन एवं व्यापक उपयोग सम्भव हो जाता है।

औद्योगीकरण प्रक्रिया के दौरान कच्चे रूप में सामग्री तैयार माल में रूपान्तरित कर दी जाती है। औद्योगीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत श्रम–शक्ति तथा पूँजीगत माल के उपयोग के द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। विश्व के अलग–अलग राष्ट्रों में औद्योगीकरण अलग–अलग प्रकारों से सम्पन्न किया जाता है। औद्योगीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वृद्धिशील प्रतिफलों के पैमाने तथा उनका विस्तार होता है। औद्योगीकरण मूल रूप से विनिर्माणी उद्योगों की स्थापना तथा विकास है जो देश के सम्पूर्ण आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन कारित करता है।

यूजीन स्टेले :– का विचार है कि, ''उच्च उत्पादिता औद्योगीकरण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है तथा ये दोनों एक दूसरे से परस्पर सम्बद्ध एवं प्रभावित होते हैं।'' औद्योगीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ किये बिना उच्च उत्पादिता प्राप्त नहीं की जा सकती तथा उच्च उत्पादिता के बिना औद्योगीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना सम्भव नहीं होता है। उच्च उत्पादिता के कारण प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि होकर बचत एवं पूँजी निर्माण को प्रेरणा प्राप्त होती है और इससे उत्तरोत्तर और भी अधिक औद्योगीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होता है।

**कुमाऊँ क्षेत्र के औद्योगीकरण में चीनी मिलों का योगदान**

कृषि–आधारित उद्योगों में चीनी उद्योग का एक प्रतिष्ठापूर्ण स्थान है क्योंकि यह उद्योग ग्राम्य पुनर्निर्माण एवं विकास का महत्वपूर्ण उपकरण है। चीनी मिलों की बढ़ती हुई संख्या ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पर्याप्त सुदृढ़ता प्रदान की है। चीनी उद्योग देश के कई प्रदेशों की अर्थव्यवस्था का प्राण है। सन्तुलित भोजन की मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगिता होती है। इस दृष्टि से भी चीनी का अपना विशेष महत्व है क्योंकि चीनी सन्तुलित भोजन का एक अनिवार्य अवयव है। यह एक महत्वपूर्ण संगठित उद्योग है। सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि से भारत को चीनी उत्पादक देशों में द्वितीय एवं गन्ना उत्पादक देशों में प्रथम स्थान प्राप्त है। यद्यपि भारत गन्ने से गुड़ एवं खाण्डसारी बहुत प्राचीन काल से बनाता व निर्यात करता रहा है, लेकिन आधुनिक दानेदार चीनी का उत्पादन तो भारत में बीसवीं शताब्दी की ही देन है।

**भारत में चीनी उद्योग का विकास**

आधुनिक ढंग से चीनी के कारखानों की स्थापना करने का प्रयास सन् 1840 ई0 के आसपास उत्तरी बिहार में डच लोगों द्वारा किया गया था, लेकिन ये प्रयास केवल प्रयोगात्मक ही रहे। दानेदार चीनी बनाने की प्रथम मिल की स्थापना बिहार राज्य में सन् 1900 ई0 में तथा दूसरी मिल सन् 1904 ई0 में उत्तर प्रदेश में स्थापित की गयी। इस उद्योग की प्रारम्भ में प्रगति बहुत धीमी रही और प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भ होते समय सन् 1914 तक देश में केवल 6 मिलें ही स्थापित की जा सकीं। धीरे–धीरे सन् 1931–32 तक चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 31 हो गयी थी।

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 13-16, ISSN 2348 – 3318



सन् 1932 ई0 में इस उद्योग को प्रशुल्क बोर्ड की संस्तुति पर संरक्षण प्रदान कर दिया गया जिससे इस उद्योग को सांस लेने का मौका मिला। संरक्षण के फलस्वरूप चीनी मिलों की संख्या में भारी वृद्धि हो गयी और सन् 1938 से उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सरकारों को चीनी उद्योग के विकास पर एक अधिनियम पारित करके नियन्त्रण स्थापित करना पड़ा। अगस्त 1939 में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ होने से इस उद्योग को अपना विकास करने का मौका मिला। देश में चीनी की मांग भी बढ़ने लगी। अतः सन् 1942 में चीनी की कीमत पर नियन्त्रण एवं उसका राशनिंग कर दिया गया जो सन् 1947 में ही समाप्त कर दिया गया। देश विभाजन से पूर्व 1945–46 में देश में 138 चीनी मिलें थी इस वर्ष में 9.23 लाख टन चीनी का उत्पादन किया। देश विभाजन का इस उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दो–तिहाई चीनी मिलें भारत में ही रह गयी तथा अधिकांश गन्ना उत्पादन क्षेत्र भारत के हिस्से में आये। द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्भ से लेकर पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने तक मांग और पूर्ति को ध्यान में रखकर चीनी के वितरण के सम्बन्ध में सरकार ने कभी नियन्त्रण, कभी विनियन्त्रण और कभी पुनः नियन्त्रण की नीति अपनायी।

**योजनाकाल में चीनी उद्योग**

योजनाकाल में चीनी उद्योग के विकास के लिए दो बातों पर ध्यान दिया गया। एक तो मिलों का कुल उत्पादन बढ़े ताकि उपभोक्ताओं को चीनी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, दूसरे नये–नये कारखाने और भी अधिक संख्या में खोले जायें ताकि उत्पादन को बढ़ाकर चीनी निर्यात में वृद्धि करके दुर्लभ विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। इस काल में चीनी मिलों की न केवल संख्या में वृद्धि हुई है अपितु मिलों की क्षमता के विस्तार के साथ ही साथ कुल चीनी उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। योजनाकाल में चीनी उद्योग की प्रगति को तालिका संख्या 1 में प्रदर्शित किया गया है –

तलिका संख्या 1
भारत में योजनाकाल में चीनी उद्योग की प्रगति

| वर्ष | चीनी का उत्पादन (लाख टनों में) |
|---|---|
| 1950–51 | 11.34 |
| 1960–61 | 30.29 |
| 1970–71 | 37.40 |
| 1980–81 | 51.48 |
| 1990–91 | 120.47 |
| 2000–01 | 185.10 |
| 2010–11 | 245.62 |
| 2017–18 | 300.00 |

स्रोत :– आर्थिक सर्वेक्षण तथा भारतीय चीनी मिल संघ रिपोर्ट

सन् 1950–51 में चीनी का उत्पादन 11.34 लाख टन था। सन् 1955–56 में 15 लाख टन के लक्ष्य के विपरीत वास्तविक उत्पादन 18.92 लाख टन हुआ था। द्वितीय योजना में चीनी का उत्पादन लक्ष्य 22.5 लाख टन निर्धारित किया गया था जबकि वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से काफी अधिक 30.29 लाख टन हुआ था। तृतीय योजना में वास्तविक उत्पादन 22 लाख टन के लक्ष्य के विपरीत 35.32 लाख टन दर्ज किया गया था। चतुर्थ योजना में चीनी का उत्पादन लक्ष्य 47 लाख टन निर्धारित किया गया था परन्तु वास्तविक उत्पादन घटकर मात्र 39.48 लाख टन दर्ज किया गया था। पाँचवी योजना में चीनी उत्पादन का लक्ष्य 54 लाख टन निर्धारित किया गया था और अतिरिक्त क्षमता के निर्माण में सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी थी। छठीं योजना (1984–85) के अन्त में चीनी उत्पादन का लक्ष्य 66.5 लाख टन निर्धारित किया गया। सातवीं योजना (1985–90) में चीनी उद्योग में अतिरिक्त क्षमता के निर्माण में गतिशील दृष्टिकोण अपनाया गया। मिलों द्वारा अपनी अनुकूलतम क्षमता पर कार्य करने की दृष्टि से विद्यमान इकाइयों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया। योजनान्तर्गत अनार्थिक और रूग्ण मिलों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्संस्थापन पर जोर दिया गया। इन सब लक्ष्यों के परिणामस्वरूप सातवीं योजना में 102 लाख टन के लक्ष्य के सापेक्ष वास्तविक उत्पादन 109.9 लाख टन रहा। वर्ष 1990–91 में चीनी का वास्तविक उत्पादन 120.47 लाख टन था जो 1991–92 में बढ़कर 132.77 लाख टन हो गया। सन् 1992–1993 तथा 1993–94 में चीनी उत्पादन में गिरावट आई परन्तु 1994–95 में यह पुनः बढ़कर 126 लाख टन हो गया जिससे भारत विश्व में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश बन गया। अन्य दो प्रमुख चीनी उत्पादक देश क्यूबा और ब्राजील हैं।

सन् 2000–01 में चीनी का उत्पादन 185.10 लाख टन था जो 2010–11 में बढ़कर 245.62 लाख टन हो गया। इससे पूर्व 2006–07 में चीनी का रिकार्ड उत्पादन (282 लाख टन) हुआ था। सन् 2017–18 में देश में चीनी का वास्तविक उत्पादन 300

RECENT RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
Issue : 3 & 4, Vol. : 5, July - December (2018); Joint Edition, Pages : 13-16, ISSN 2348 – 3318



लाख टन दर्ज किया गया। चीनी मिलों की संख्या जो 1950–51 में 138 थी 2005 मे बढ़कर 571 हो गई थी। इस वर्ष के बाद कोई भी नई चीनी मिल स्थापित नहीं हुई।

**कुमाऊँ क्षेत्र में चीनी उद्योग**

यद्यपि चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है तथापि यह कुमाऊँ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है– (1) गन्ना इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है तथा (2) चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित है जो ग्रामीण जनसंख्या को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में वृहद परिमाण में रोजगार उपलब्ध कराता है। चीनी उद्योग संगठित उद्योगों में से एक है। इसे मौसमी उद्योग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वर्ष के कार्यशील दिवसों के आधे से भी कम कार्य करता है। कुमाऊँ क्षेत्र में 6 चीनी मिलें थी जिनमें से दो मिलें निरन्तर अलाभप्रद स्थिति में रहने के कारण बन्द हो चुकी हैं। ये मिलें थी–मैसर्स धामपुर शुगर मिल्स (डी0सी0एम0) काशीपुर तथा किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, गदरपुर। वर्तमान में कार्यरत 4 चीनी मिलें हैं:–

1. किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा
2. किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, नादेही
3. किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड, सितारगंज
4. बाजपुर कॉपरेटिव शुगर फैक्टरी लिमिटेड, बाजपुर

उपर्युक्त मिलों में से किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा एक सरकारी मिल है तथा शेष मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गयी है। चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृशि आधारित संगठित उद्योग है। यह उद्योग ऐसे क्षेत्रों में ही पनपता है जहाँ आस–पास के इलाकों में भरपूर मात्रा में गन्ना उगाया जाता है। कुमाऊँ मण्डल का तराई क्षेत्र कृषि उत्पादन की दृष्टि से एक अत्यन्त समृद्ध क्षेत्र है जिसमें गन्ना, धान तथा गेहूँ तीन मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। मण्डल में अवस्थित चीनी मिलों की कच्ची सामग्री एकमात्र गन्ना ही है।

चीनी मिल औद्योगीकरण प्रक्रिया में इंजन का कार्य करते हैं। इनकी स्थापना के फलस्वरूप अनेक अनुशंगी उद्योग भी स्व–स्फूर्त रूप में स्थापित होने लगते हैं, जैसे खोई का उपयोग करके कार्डबोर्ड, पैकिंग कार्टन्स, ब्लॉटिंग पेपर, कागज आदि, शीरे का उपयोग करके शराब, अल्कोहल एवं स्प्रिट आदि का तलछट (प्रेसमड़) को कार्बन पेपर, साबुन, बूट पॉलिश, अखबारों के लिए स्याही आदि बनाने के काम में लिया जा सकता है। पैमाने के दृष्टिकोण से सभी चीनी मिलें वृहदस्तरीय उद्योगों की श्रेणी में आती हैं। चीनी उद्योग एक उच्च परिमाणयुक्त रोजगार प्रदाता उद्योग है। इसके सहायक उद्योग आसवनियों से प्राप्त स्प्रिट का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रसायनों के उत्पादन में किया जा सकता है। इतना ही नहीं आसवनियों से प्राप्त फ्यूजी ऑयल जो एक उपोत्पाद है, का भी औद्योगिक उपयोग है।

**निष्कर्ष**

चीनी उद्योग प्रमुख कृषि–आधारित उद्योग होने के कारण किसी भी क्षेत्र के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। चीनी मिलों की स्थापना के बाद आस–पास के क्षेत्रों में इनके उपोत्पादों, अपशिष्टों एवं अवशिष्टों का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए गत्ता मिलों, पेपर मिलों, आसवनियां, स्प्रिट उत्पादक इकाइयों, कार्बन पेपर, बूट पॉलिश, साबुन, अखबारी स्याही इत्यादि का उत्पादन करने वाली इकाइयों की स्थापना अनुशंगी इकाइयों के रूप में होने लगती है। कार्टन्स विनिर्माणी इकाइयाँ भी साथ ही साथ स्थापित होने लगती हैं। कच्ची सामग्री, विनिर्मित उत्पादों, तथा रोजगार प्राप्त कर्मियों एवं अन्य अप्रत्यक्ष सम्बद्ध व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले–जाने के लिए परिवहन सुविधाएं भी क्षेत्र के औद्योगीकरण में सहायक हैं।

**सन्दर्भ**

1 Brice Murray, D: Industrial Development, p. 5
2 Bauer, P.T. and Yamey B.S: The Economics of under- Developed Countries, p. 235
3 औद्योगीकरण की महत्ता पर स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के विचार
4 Supreme Court Judgment on Bangalore Water Supply and Sewage Board case given on Feb. 21, 1978.